भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/11(3)/2 नई दिल्ली, दिनांक 04/07/2013

दूरसंचार परिपत्र सं. 18/2013

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें एवं मेट्रो रेल, कोलकाता

विषय:- 5 डब्ल्यू वॉकी-टॉकी सेटों की खरीद के संबंध में।

*****

चूंकि 5 डब्ल्यू वॉकी-टॉकी सेटों के लिए डीजीएसएण्डडी दर संविदाओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए रेलवे ने तत्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार से वीएचएफ सेटों की खरीद आरंभ कर दी है। इस संबंध में, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बोर्ड से अनुरोध किया है कि इन वीएचएफ सेटों के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के बारे में सलाह दी जाए।

2. तदनुसार, रेलों को सलाह दी जाती है कि वे राइट्स या परेषिती द्वारा निरीक्षण कराएं। परेषिती द्वारा निरीक्षण कराए जाने के मामले में, निरीक्षण करने वाला अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी से कम नहीं होना चाहिए। निरीक्षण रिपार्ट का उचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

3. इन सेटों के लिए एमआईएल मानक के अनुपालन की प्रक्रिया, दिनांक 14.02.2013 के पत्र सं. 2013/टेली/11(3)/2 के तहत जारी दूरसंचार परिपत्र सं. 07/2013 के अनुसार होगी।

4. इससे दक्षिण पूर्व रेलवे के दिनांक 03.07.2013 के पत्र सं एसएण्डटी/एसटी/779/पार्टVI/2315 का निपटान हो जाता है।

5. यह नियम आगे की खरीदों के लिए लागू होगा और खरीद के मौजूदा मामलों को इसके कारण टाला नहीं जाएगा। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि जब तक डीजीएसएण्डडी दर संविदा उपलब्ध नहीं होती है तभी तक तत्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुले बाजार से खरीदारी की जानी चाहिए।

6. कृपया पावती दें।

(राकेश रंजन)
निदेशक/दूरसंचार
दूरभाष 011-23388504, 030-44613
फैक्स: 011-23384481, 030-44690
ई मेल: dele@rb.railnet.gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

- सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें।
- सीएसटीई, कोलकाता मेट्रो।
- निदेशक/ इरिसेट/सिकंदराबाद।
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/आईआरपीएमयू/नई दिल्ली।
- कार्यपालक निदेशक/टेलीकाम/अअमसं/लखनऊ।

TELE- S